

18.06.2024 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीया उपस्थित।  
प्रकरण में मूल वाद का निस्तारण हो  
चुका है। पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष  
नहीं रह जाती है। वकील वादीया ने प्रकरण  
नोट-प्रेसन करने निवेदन किया। पत्रावली  
फॉर्मल शुमार होकर खोलगन मूल वाद  
है।

उपखण्ड अधिकारी  
सीमलवाडा